



# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

सम्पूर्ण मल्ली बनाम श्री माफ़ी राम मल्ली वगैरे

क्र.सं./तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
50-11-17	<p>अभिलेख सं०-एम... 157 / 2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभासी ... तमाड के अप्राथमिकी सं०-51/17 दिनांक-07-11-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि श्वाला न०-64 प्लॉट न०-634 रकवा 11 जमीन के विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव है।</p> <p>जिससे सांगठना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 15-12-17 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> </div>	
15-12-17	<p>अभिलेख उपस्थापित (उभय पक्ष उपस्थित) उभय पक्ष वचन दाखिल करी दिनांक 05-01-18 को श्वाला</p>	

15/12/17

तिथि

18-06-18

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र  
उपस्थित द्वितीय पत्र क्रमांक 01 उपस्थित  
अन्य अधिवक्ता हाजरी 7 प्रथम पत्र  
गवाही हेतु दिनांक 22-06-18 को रखे।

  
21/6/18

22-06-18

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र  
उपस्थित द्वितीय पत्र क्रमांक 01 उपस्थित  
अन्य अधिवक्ता हाजरी। इक्त वाद में  
6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी  
है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है।  
अतः वाद में अभिलेख की कारवाई बन्द  
की जाती है।

  
22/6/18